

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	पौष 10, बुधवार, शके 1947- दिसम्बर 31, 2025 Pausa 10, Wednesday, Saka 1947- December 31, 2025	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

कार्मिक विभाग

क-ग्रुप-2

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 22, 2025

जी.एस.आर.130 :-भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, लिपिकवर्गीय और चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2014, को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, लिपिकवर्गीय और चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) (संशोधन) नियम, 2025 है।

(2) निम्नलिखित के उपबंध,-

- (i) इन संशोधन नियमों के नियम 2, 07.12.2022 से प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे;
- (ii) इन संशोधन नियमों के नियम 3, 08.08.2022 से प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे; और
- (iii) इन संशोधन नियमों के नियम 4, 06.02.2024 से प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे।

2. नियम 7 का प्रतिस्थापन.-राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, लिपिकवर्गीय और चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2014, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के स्थान पर निम्नलिखित, 07.12.2022 से प्रतिस्थापित हुआ समझा जायेगा, अर्थात्:-

“7. सशस्त्र बलों, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और भारतीय तटरक्षक के मृत/स्थायी रूप से अशक्त कार्मिकों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति.- (1) इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी नियुक्ति प्राधिकारी, शैक्षिक अर्हताओं और इन नियमों के अधीन विहित अन्य सेवा शर्तों को पूरा करने और कार्मिक विभाग की, तथा यदि पद आयोग के कार्यक्षेत्र के भीतर आता है तो राजस्थान लोक सेवा आयोग की सहमति के, अध्यक्षीन रहते हुए,-

- (i) सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले वेतन मैट्रिक्स में के लेवल एल-10 तक के पद, सशस्त्र बलों के ऐसे किसी सदस्य, जो राज्य का मूल निवासी था या है और जो 01.01.1972 को या उसके पश्चात् विद्रोह की जवाबी कार्रवाई/आतंकवाद के विरुद्ध संक्रियाओं सहित किन्हीं

प्रतिरक्षा संक्रियाओं में मारा गया था/मारा गया है या स्थायी रूप से अशक्त हो गया था/है और रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा युद्ध हताहत के रूप में घोषित किया गया है, के आश्रितों में से किसी एक को अनुकम्पात्मक आधार पर नियुक्त करके;

(ii) सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले वेतन मैट्रिक्स में के लेवल एल-10 तक के पद, सशस्त्र बलों के ऐसे किसी सदस्य, जो राज्य का मूल निवासी था या है और जो 01.04.1999 को या उसके पश्चात् किसी घटना में मारा गया था/मारा गया है या स्थायी रूप से अशक्त हो गया था/है और सशस्त्र बलों के संबंधित मुख्यालयों के सक्षम प्राधिकारी द्वारा शारीरिक हताहत घोषित किया गया है, के आश्रितों में से किसी एक को अनुकम्पात्मक आधार पर नियुक्त करके; और

(iii) सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले वेतन मैट्रिक्स में के लेवल एल-10 तक के पद, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और भारतीय तटरक्षक के ऐसे किसी सदस्य, जो राज्य का मूल निवासी था या है और जो 01.04.1999 को या उसके पश्चात् विद्रोह की जवाबी कार्रवाइयों/आतंकवाद के विरुद्ध संक्रियाओं सहित किन्हीं प्रतिरक्षा संक्रियाओं में मारा गया था/मारा गया है या स्थायी रूप से अशक्त हो गया था/है और गृह/रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सामरिक कार्यवाही में हताहत घोषित किया गया है, के आश्रितों में से किसी एक को अनुकम्पात्मक आधार पर नियुक्त करके;

भर सकेगा:

परन्तु,-

(क) यदि सशस्त्र बलों, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और भारतीय तटरक्षक के स्थायी रूप से अशक्त कार्मिक राज्य सरकार के अधीन स्वयं के लिए रोजगार प्राप्त करने में समर्थ और इच्छुक हों तो उन्हें रोजगार दिया जायेगा।

(ख) यदि सशस्त्र बलों, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और भारतीय तटरक्षक के मृत या स्थायी रूप से अशक्त कार्मिक की विधवा/विधुर या आश्रित तुरन्त रोजगार प्राप्त करने की स्थिति में नहीं हो तो नियुक्ति के लिए पात्रता अर्जित करने पर उसे रोजगार दिया जायेगा।

(2) सशस्त्र बलों, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और भारतीय तटरक्षक के ऐसे आश्रित या अन्य आश्रितों में से किसी को नियुक्ति नहीं दी जायेगी यदि सशस्त्र बलों, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और भारतीय तटरक्षक के कार्मिक की मृत्यु या कार्मिक के स्थायी रूप से अशक्तता के समय, आश्रितों में से कोई भी एक पहले से ही केन्द्रीय सरकार, किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय या किसी राज्य सरकार द्वारा पूर्णतः या भागतः स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन विधिक बोर्ड/संगठन/निगम के अधीन पहले से ही नियमित रूप से नियोजित हो:

परन्तु यह शर्त वहां लागू नहीं होगी जहां अशक्त व्यक्ति या विधवा/विधुर स्वयं के लिए रोजगार चाहता/चाहती है।

(3) स्थायी रूप से अशक्त कार्मिक/ऐसा आश्रित, नियुक्ति के लिए आवेदन, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को प्रस्तुत करेगा और जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, सशस्त्र बलों, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और भारतीय तटरक्षक के कार्मिक के संबंधित अभिलेख कार्यालय/अभिहित कार्यालय/सेवा मुख्यालयों को, सत्यापन हेतु प्रक्रम करेगा। सामान्य भर्ती नियमों के शिथिलीकरण के

अंतर्गत आवेदन पर, इस शर्त के अधीन रहते हुए विचार किया जायेगा कि, संबंधित सेवा मुख्यालय/अभिलेख कार्यालय/अभिहित कार्यालय सम्यक् रूप से सत्यापित करेंगे और आवेदक किसी पद-विशेष के लिए विहित शैक्षणिक अर्हताओं, अनुभव और आयु सीमा को पूर्ण करता हो तथा सरकारी सेवा के लिए अन्यथा भी अर्हित हो।

(4) उपरोक्त उप-नियम(3) में उल्लिखित शर्तों को पूर्ण करने के पश्चात् ऐसे आश्रित/स्थायी रूप से अशक्त कार्मिक का आवेदन संबंधित जिला कलक्टर को, स्थायी रूप से अशक्त कार्मिक/आश्रित द्वारा धारित अर्हताओं के अनुसार उपयुक्त नियुक्ति के लिए, अग्रेषित किया जायेगा। संबंधित जिले में रिक्ति की अनुपलब्धता की दशा में, आवेदन संभागीय आयुक्त को भेजा जायेगा जो अपनी अधिकारिता के अधीन जिलों में से किसी में नियुक्ति की व्यवस्था करेगा। यदि संभागीय आयुक्त की अधिकारिता के अधीन कोई रिक्त पद उपलब्ध नहीं हो तो संभागीय आयुक्त द्वारा आवेदन कार्मिक (क-2) विभाग को नियुक्ति प्रदान करने के लिए निर्दिष्ट किया जायेगा।

(5) आवेदन में निम्नलिखित सूचना अंतर्विष्ट होंगी, अर्थात्:-

- (क) सशस्त्र बलों, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और भारतीय तटरक्षक के मृत/स्थायी रूप से अशक्त कार्मिक का नाम और पदनाम;
- (ख) यूनिट जिसमें वह मृत्यु/स्थायी रूप से अशक्त होने से पूर्व सेवाएं दे रहा था/थी;
- (ग) युद्ध हताहत/सामरिक कार्यवाही में हताहत/शारीरिक हताहत घोषित करने हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मृत्यु प्रमाणपत्र के साथ उसकी मृत्यु की तारीख और स्थान;
- (घ) स्थायी अशक्तता प्रमाणपत्र (निःशक्तता प्रमाणपत्र); और
- (ङ) आवेदक का नाम, जन्म की तारीख, शैक्षिक अर्हताएं और मृतक/स्थायी रूप से अशक्त कार्मिक (युद्ध हताहत/सामरिक कार्यवाही में हताहत/शारीरिक हताहत) के साथ उसका सम्बन्ध।

स्पष्टीकरण: इस नियम के प्रयोजन के लिए,-

- (i) “सशस्त्र बलों” से भारत संघ की थल सेना, नौसेना और वायु सेना अभिप्रेत हैं।
- (ii) “केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ)” से सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, भारत-तिब्बतीय सीमा पुलिस, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, असम राइफिल्स, सशस्त्र सीमा बल जो केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किये जायें, अभिप्रेत हैं।
- (iii) “भारतीय तटरक्षक” से भारतीय तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु और रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन कार्यरत बल अभिप्रेत हैं।
- (iv) “आश्रित” से निम्नलिखित अभिप्रेत है,-
 - (क) पति/पत्नी; या
 - (ख) पुत्र/सशस्त्र बलों, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ), भारतीय तटरक्षक के मृत/स्थायी रूप से अशक्त कार्मिक द्वारा उसकी मृत्यु/स्थायी अशक्तता के समय से पूर्व, दत्तक ग्रहण किया गया पुत्र; या
 - (ग) अविवाहित पुत्री/अविवाहित दत्तक पुत्री, विधवा पुत्री/विच्छिन्न विवाह पुत्री जो सशस्त्र बलों, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ),

भारतीय तटरक्षक के मृत/स्थायी रूप से अशक्त कार्मिक पर, उसकी मृत्यु/स्थायी रूप से अशक्तता से पूर्व पूर्ण रूप से आश्रित है; या

- (घ) विवाहित पुत्री, यदि उपरोक्त खण्ड (ख) और (ग) में उल्लिखित सशस्त्र बलों, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और भारतीय तटरक्षक के मृत/स्थायी रूप से अशक्त कार्मिक का कोई भी अन्य आश्रित उपलब्ध नहीं हो;या
- (ङ) सशस्त्र बलों, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और भारतीय तटरक्षक के मृत/स्थायी रूप से अशक्त अविवाहित कार्मिक के मामले में, माता, पिता, अविवाहित भाई या अविवाहित बहन।

टिप्पणः“दत्तक पुत्र/पुत्री” से हिन्दू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम,1956 के अधीन वैध रूप से दत्तक ग्रहण किया गया पुत्र/पुत्री अभिप्रेत है। हिन्दू धर्म से भिन्न धर्म वाले आश्रितों के लिए, मामला आवश्यक स्पष्टीकरण हेतु कार्मिक (क-2) विभाग को निर्दिष्ट किया जायेगा।

- (v) **“स्थायी रूप से अशक्त”**से ऐसा सिपाही/व्यक्ति अभिप्रेत है जो न्यूनतम 40% निःशक्तता से ग्रस्त है और जिसे थल सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायु सेना, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) या, यथास्थिति, भारतीय तटरक्षक के संबंधित अनुमोदन और पुष्टि करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा स्थायी रूप से अशक्त घोषित किया गया है।”

(3) नियम 7क का अन्तःस्थापन.- उक्त नियमों के इस प्रकार प्रतिस्थापित नियम 7 के पश्चात् और विद्यमान नियम 8 से पूर्व, निम्नलिखित नया नियम 7क, 08.08.2022 से अन्तःस्थापित हुआ समझा जायेगा, अर्थात्:-

“7क. ऐसे मृतक व्यक्तियों के आश्रितों की अनुकम्पात्मक नियुक्ति जिन्हें उत्तराखण्ड त्रासदी-2013 में मृत या लापता होने के पश्चात् मृत घोषित किया गया.- (1) इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी नियुक्ति प्राधिकारी, सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली वेतन मैट्रिक्स में के लेवल एल-9 तक के पद की रिक्तियां, ऐसे व्यक्ति, जो राजस्थान राज्य का मूल निवासी था और 2013 की उत्तराखण्ड त्रासदी में मर गया था या जिसे ऐसी त्रासदी में लापता होने के पश्चात् मृत घोषित किया गया था, के आश्रितों में से किसी एक को अनुकम्पात्मक आधार पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, नियुक्त करके भर सकेगा:-

- (i) आश्रित राजस्थान राज्य का मूल निवासी हो; और
- (ii) आश्रित इन नियमों के अधीन संबंधित पद के लिए विहित शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं तथा अन्य शर्तें पूर्ण करता हो:

परन्तु चयन के लिए प्रक्रियात्मक अपेक्षा जैसे कि,-

- (क) नियुक्ति के समय कम्प्यूटर अर्हता पर जोर नहीं दिया जायेगा। आश्रित को सुसंगत नियमों में यथा विहित कोई भी कम्प्यूटर अर्हता परीक्षा कालावधि के भीतर-भीतर प्राप्त करनी होगी जिसके ना होने पर, उसकी परीक्षा बढ़ायी गयी समझी जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी सेवा में उसके प्रदर्शन को पूर्ण रूप से असंतोषजनक पाते हुए उसकी सेवाओं को समाप्त नहीं कर दे;

(ख) नियुक्ति के समय प्रशिक्षण या विभागीय परीक्षा या कम्प्यूटर पर टंकण पर जोर नहीं दिया जायेगा। तथापि, आश्रितों से तीन वर्ष की कालावधि के भीतर-भीतर, जब तक स्थायीकरण के लिए हकदारी हेतु उस कालावधि को कार्मिक विभाग द्वारा शिथिल ना किया गया हो, ऐसा प्रशिक्षण या विभागीय परीक्षा अथवा अंग्रेजी या हिन्दी में से किसी भी एक भाषा में कम्प्यूटर पर टंकण परीक्षण उत्तीर्ण करना अपेक्षित होगा, जिसमें असफल रहने पर उसकी नियुक्ति समाप्त किये जाने के लिए दायी होगी। जब तक वह ऐसी अर्हता अर्जित नहीं कर लेता/लेती है, तब तक कोई भी वार्षिक ग्रेड वृद्धियां अनुज्ञात नहीं की जायेंगी। ऐसी अर्हता अर्जित कर लेने पर नियुक्ति की तारीख से वार्षिक ग्रेड वृद्धियां काल्पनिक रूप से अनुज्ञात की जायेंगी किन्तु कोई भी बकाया संदत्त नहीं किया जायेगा:

परन्तु यह और कि इन नियमों के उपबंधों के अधीन नियुक्त विधवा को कम्प्यूटर अर्हता रखने और कम्प्यूटर पर टंकण परीक्षण उत्तीर्ण करने से छूट दी जायेगी:

परन्तु यह भी कि इस नियम के उपबंधों के अधीन नियुक्त बेंचमार्क निःशक्तता वाले व्यक्ति को कम्प्यूटर पर टंकण परीक्षण उत्तीर्ण करने से छूट दी जायेगी।

(2) ऐसे आश्रित को नियुक्ति नहीं दी जायेगी यदि ऐसे मृतक के या लापता होने के पश्चात् मृत घोषित व्यक्ति के आश्रितों में से कोई भी एक, मृतक की मृत्यु या ऐसे लापता व्यक्ति को मृत घोषित किये जाने के समय, केन्द्रीय/किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय/किसी राज्य सरकार द्वारा पूर्णतः या भागतः स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी विधिक बोर्ड/संगठन/निगम के अधीन नियमित आधार पर पहले से ही नियुक्त है:

परन्तु यह शर्त वहां लागू नहीं होगी जहां विधवा स्वयं के लिए नियोजन चाहती है:

परन्तु यह और कि यदि किसी कुटुम्ब में ऐसे व्यक्तियों की संख्या, जो मृत हैं या लापता होने के पश्चात् मृत घोषित कर दिये गये हैं, एक से अधिक है तो, केवल एक आश्रित की अनुकम्पात्मक आधार पर नियुक्ति के लिए ही विचार किया जायेगा।

(3) ऐसा आश्रित नियुक्ति के लिए आवेदन संबंधित जिला कलक्टर को प्रस्तुत करेगा। जिला कलक्टर आवेदन को अपनी सिफारिशों सहित आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग को सत्यापन हेतु अग्रेषित करेगा। ऐसे मृतक की मृत्यु या ऐसे मृतक की मृत्यु की घोषणा के सत्यापन के पश्चात् ऐसे आश्रित का आवेदन, उपयुक्त नियुक्ति के लिए संबंधित जिला कलक्टर को अग्रेषित किया जायेगा। संबंधित जिले में रिक्ति की अनुपलब्धता की दशा में आवेदन संभागीय आयुक्त को भेजा जायेगा जो अपनी अधिकारिता के अधीन किसी जिले में नियुक्ति की व्यवस्था करेगा। यदि संभागीय आयुक्त की अधिकारिता के अधीन रिक्त पद उपलब्ध नहीं हो तो नियुक्ति प्रदान करने हेतु आवेदन संभागीय आयुक्त द्वारा कार्मिक (क-2) विभाग को निर्दिष्ट किया जायेगा।

स्पष्टीकरण: इस नियम के प्रयोजन के लिए आश्रित से निम्नलिखित अभिप्रेत है,-

(i) पति/पत्नी; या

(ii) पुत्र जिसमें मृत या लापता होने के पश्चात् मृत घोषित व्यक्ति द्वारा उसके जीवन काल के दौरान वैध रूप से दत्तक ग्रहण किया गया पुत्र सम्मिलित है; या

- (iii) अविवाहित/विधवा/विच्छिन्न विवाह पुत्री जिसमें मृत या लापता होने के पश्चात् मृत घोषित व्यक्ति द्वारा उसके जीवन काल के दौरान वैध रूप से दत्तक ग्रहण की गयी पुत्री सम्मिलित है; या
 - (iv) विवाहित पुत्री, यदि उपरोक्त खण्ड (ii) और (iii) में उल्लिखित अन्य कोई आश्रित उपलब्ध नहीं है; या
 - (v) मृत या लापता होने के पश्चात् मृत घोषित अविवाहित व्यक्ति के मामले में माता, पिता, अविवाहित भाई या अविवाहित बहन,
- जो मृत या लापता होने के पश्चात् मृत घोषित व्यक्ति पर उसकी मृत्यु के समय पूर्ण रूप से आश्रित था।

(4) इस नियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे व्यक्ति जो आपदा प्रबन्धन और सहायता विभाग द्वारा जारी किये गये सहायता पैकेज दिनांक 29.07.2013 के अनुसरण में नियुक्त किये गये हों, यदि वे इस नियम के अधीन नियुक्ति के लिए अन्यथा पात्र हैं, 08.08.2022 से नियुक्त किये गये समझे जायेंगे।”

4. नियम 7ख का अन्तःस्थापन.- उक्त नियमों के इस प्रकार अन्तःस्थापित नियम 7क के पश्चात् और विद्यमान नियम 8 से पूर्व, निम्नलिखित नया नियम 7ख, 06.02.2024 से अन्तःस्थापित हुआ समझा जायेगा, अर्थात्:-

“7ख. ऐसे अभ्यर्थियों की अनुकम्पात्मक नियुक्ति जो कोरोना वायरस संक्रामक रोग (कोविड-19) के कारण अनाथ हो गये.- (1) इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, नियुक्ति प्राधिकारी सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली वेतन मैट्रिक्स में के लेवल एल-9 तक के पद की रिक्तियां, किसी ऐसे अभ्यर्थी को, जो **कोविड-19 के कारण अनाथ हो गया है**, अनुकम्पात्मक आधार पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, नियुक्त करके भर सकेगा,-

- (i) अभ्यर्थी राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिए; और
 - (ii) अभ्यर्थी इन नियमों के अधीन संबंधित पद के लिए विहित शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं तथा अन्य शर्तें पूर्ण करता हो।
- (2) चयन और नियुक्ति के लिए प्रक्रियात्मक अपेक्षा जैसे कि,-
- (क) नियुक्ति के समय कम्प्यूटर अर्हता पर जोर नहीं दिया जायेगा। अभ्यर्थी को सुसंगत नियमों में यथा विहित कोई भी कम्प्यूटर अर्हता परीक्षा कालावधि के भीतर-भीतर प्राप्त करनी होगी जिसमें विफल होने पर, उसकी परीक्षा बढ़ायी गयी समझी जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी उसके प्रदर्शन को पूर्ण रूप से असंतोषजनक पाते हुए उसकी सेवाओं को समाप्त नहीं कर दे;
 - (ख) नियुक्ति के समय प्रशिक्षण या विभागीय परीक्षा या कम्प्यूटर पर टंकण पर जोर नहीं दिया जायेगा। तथापि, अभ्यर्थी से तीन वर्ष की कालावधि के भीतर-भीतर, जब तक स्थायीकरण के लिए हकदारी हेतु उस कालावधि को कार्मिक विभाग द्वारा शिथिल ना किया गया हो, ऐसा प्रशिक्षण या विभागीय परीक्षा अथवा या तो अंग्रेजी या हिन्दी में कम्प्यूटर पर टंकण परीक्षण उत्तीर्ण करना अपेक्षित होगा, जिसमें विफल रहने पर उसकी नियुक्ति समाप्त किये जाने के लिए दायी होगी। जब तक वह ऐसी अर्हता अर्जित नहीं कर लेता/लेती है, तब तक कोई भी वार्षिक ग्रेड वृद्धियां अनुज्ञात नहीं की जायेंगी। ऐसी

अर्हता अर्जित कर लेने पर नियुक्ति की तारीख से वार्षिक ग्रेड वृद्धियां काल्पनिक रूप से अनुज्ञात की जायेंगी किन्तु कोई भी बकाया संदत नहीं किया जायेगा:

परन्तु इस नियम के उपबंधों के अधीन नियुक्त बैचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति को कम्प्यूटर पर टंकण परीक्षण उत्तीर्ण करने से छूट दी जायेगी।

(3) ऐसे अनाथ को नियुक्ति नहीं दी जायेगी यदि उसके माता-पिता की मृत्यु के समय या ऐसे अनाथ की नियुक्ति के समय उसके कुटुंब का कोई भी सदस्य, केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार, केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा पूर्ण रूप से या भागतः स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन कानूनी बोर्ड, संगठन या निगम के अधीन नियमित आधार पर पहले से ही नियुक्त हो।

(4) यदि अनाथ उसके अवयस्कता के कारण तुरन्त नियोजन लेने की स्थिति में नहीं हो तो पद पर नियुक्ति के लिए अपेक्षित आयु प्राप्त करने पर उसे नियोजन दिया जा सकेगा।

(5) ऐसा अनाथ नियुक्ति के लिए संबंधित जिला कलक्टर को आवेदन प्रस्तुत करेगा। संबंधित जिले में रिक्ति की अनुपलब्धता की दशा में आवेदन संभागीय आयुक्त को भेजा जायेगा जो अपनी अधिकारिता के अधीन किसी भी जिले में नियुक्ति की व्यवस्था करेगा। यदि संभागीय आयुक्त की अधिकारिता के अधीन रिक्त पद उपलब्ध नहीं हो तो नियुक्ति प्रदान करने हेतु आवेदन संभागीय आयुक्त द्वारा कार्मिक (क-2) विभाग को निर्दिष्ट किया जायेगा।

स्पष्टीकरण: इस नियम के प्रयोजन के लिए अनाथ से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने, अपने जैविक या दत्तक माता-पिता (दोनों) जिनकी मृत्यु 31.03.2023 को या उससे पूर्व कोरोना के कारण हो गयी है या माता-पिता में से किसी एक की मृत्यु पूर्व में हो चुकी है और दूसरे की मृत्यु 31.03.2023 को या उससे पूर्व कोरोना के कारण हो गयी है, अठारह वर्ष की आयु नहीं प्राप्त की है और जो अपने माता-पिता की मृत्यु के समय उन पर पूर्ण रूप से आश्रित था।”

[सं. एफ.2(1) डीओपी/ए-II/2014]

राज्यपाल के आदेश और नाम से,
डॉ. मुकुट बिहारी जागिड,
संयुक्त शासन सचिव।

DEPARTMENT OF PERSONNEL

(A-Gr.-II)

NOTIFICATION

Jaipur, December 22, 2025

G.S.R.130 .-In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Scheduled Areas Subordinate, Ministerial and Class-IV Service (Recruitment and other Service Conditions) Rules, 2014, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Scheduled Areas Subordinate, Ministerial and Class-IV Service (Recruitment and other Service Conditions) (Amendment) Rules, 2025.

(2) Provisions of,-

- (i) rule 2 of these amendment rules shall be deemed to have come into force with effect from 07.12.2022;
- (ii) rule 3 of these amendment rules shall be deemed to have come into force with effect from 08.08.2022; and
- (iii) rule 4 of these amendment rules shall be deemed to have come into force with effect from 06.02.2024.

2. Substitution of rule 7.- The existing rule 7 of the Rajasthan Scheduled Areas Subordinate, Ministerial and Class-IV Service (Recruitment and other Service Conditions) Rules, 2014, hereinafter referred as the said rules, shall be deemed to have substituted with effect from 07.12.2022 by the following, namely: -

“7. Compassionate appointment of dependents of the deceased / permanently incapacitated personnel of Armed Forces, Central Armed Police Forces (CAPF) and Indian Coast Guard :- (1) Notwithstanding anything contained in these rules, the Appointing Authority may fill the vacancies, subject to fulfillment of the educational qualifications and other service conditions prescribed under these rules with the concurrence of Department of Personnel and the Rajasthan Public Service Commission, if the post falls within the purview of the Commission of the,-

- (i) posts upto level in pay matrix L-10 to be filled in by direct recruitment by appointing on compassionate ground to one of the dependents of a member of Armed Forces who was or is a bonafide resident of the State and died/dies or became/becomes permanently incapacitated on or after 01.01.1972, in any defence operations including counter insurgency/counter terrorism operations and declared Battle Casualty by the Ministry of Defence, Government of India;
- (ii) posts upto level in pay matrix L-10 to be filled in by direct recruitment by appointing on compassionate ground to one of the dependents of a member of Armed Forces who was or is a bonafide resident of the State and died/dies or became/becomes permanently incapacitated in any incident on or after 01.04.1999 and declared Physical Casualty by the Competent Authority of respective Headquarters of the Armed Forces; and
- (iii) posts upto level in pay matrix L-10 to be filled in by direct recruitment by appointing on compassionate ground to one of the dependents of a member of Central Armed Police Forces (CAPF) and Indian Coast Guard who was or is a bonafide resident of the State and died/ dies or became/becomes permanently incapacitated on or after 01.04.1999 in any defence operations including counter insurgency/ counter terrorism operations and declared Operational Casualty by the Ministry of Home / Defence, Government of India:

Provided that,-

- (a) the permanently incapacitated personnel of Armed Forces, Central Armed Police Forces (CAPF) and Indian Coast Guard who are capable of and desirous of obtaining employment for themselves under the State Government then the employment shall be given to them.

- (b) the widow/ widower or the dependent of deceased or permanently incapacitated personnel of the Armed Forces, Central Armed Police Forces (CAPF) and Indian Coast Guard are not in a position to take up employment immediately, employment will be given to them on acquiring of eligibility.

(2) Appointment shall not be given to such dependent or any of the other dependents of the Armed Forces, Central Armed Police Forces (CAPF) and Indian Coast Guard, if any one of the dependents is already employed on regular basis under the Central Government, any State Government or Statutory Board /Organization / Corporation owned or controlled wholly or partially by the Central or any State Government at the time of death of personnel or permanent incapacitation of personnel of Armed Forces, Central Armed Police Force (CAPF) and Indian Coast Guard:

Provided that this condition shall not apply where the incapacitated person or widow / widower seeks employment for himself/ herself.

(3) Permanently incapacitated personnel/such dependent shall submit an application for the appointment to Zila Sainik Kalyan Adhikari and the Zila Sainik Kalyan Adhikari shall process with concerned Record Office/Designated Office/Service Headquarters of the personnel of Armed Forces, Central Armed Police Forces (CAPF) and Indian Coast Guard for verification. The application shall be considered in relaxation of the normal recruitment rules subject to the condition that respective Service HQ/Records Office/Designated office duly verifies and the applicant fulfills the academic qualifications, experience and age limit prescribed for a particular post and also otherwise qualified for the Government Service.

(4) After fulfilling conditions mentioned in sub-rule(3) above, the application of such dependent/permanently incapacitated personnel shall be forwarded to the District Collector concerned for suitable appointment according to the qualifications possessed by the permanently incapacitated personnel /dependent. In the event of non-availability of vacancy in the district concerned, the application shall be sent to the Divisional Commissioner who shall arrange appointment in any of districts under his jurisdiction. If vacant post is not available under the jurisdiction of the Divisional Commissioner, then the application shall be referred by the Divisional Commissioner to the Department of Personnel (A-II) for providing appointment.

(5) The application shall contain the following information, namely:-

- (a) Name and designation of deceased/permanently incapacitated personnel of Armed Forces, Central Armed Police Forces (CAPF) and Indian Coast Guard;
- (b) Unit in which he/she was serving prior to death/becoming permanently incapacitated;
- (c) Date and place of death with death certificate issued by the Authority competent to declare him/her a Battle Casualty/Operational Casualty/Physical Casualty ;
- (d) Certificate of permanent incapacitation (Disability Certificate); and
- (e) Name, date of birth, educational qualifications of the applicant and his/her relation with the deceased/permanently incapacitated personnel (Battle Casualty/Operational Casualty / Physical Casualty).

Explanation: For the purpose of this rule,-

- (i) “**Armed Forces**” means the Army, Navy and Air Force of the Indian Union.

- (ii) **“Central Armed Police Forces (CAPF)”** means Border Security Force, Central Reserve Police Force, Indo-Tibetan Border Police, Central Industrial Security Force, National Security Guard, Assam Rifles, Sashastra Seema Bal, as may be notified by Central or State Government, from time to time.
- (iii) **“Indian Coast Guard”** means the force to ensure the security of Indian Coastal Regions and are working under the Ministry of Defence, Government of India.
- (iv) **“Dependent”** means,-
- (a) Spouse, or
 - (b) Son/son adopted by the deceased/permanently incapacitated personnel of Armed Forces, Central Armed Police Forces (CAPF), Indian Coast Guard before the time of his/her death/ permanent incapacitation; or
 - (c) Unmarried daughter/unmarried adopted daughter, widowed daughter/ divorced daughter who is wholly dependent on deceased/ permanent incapacitated personnel of Armed Forces, Central Armed Police Forces (CAPF), Indian Coast Guard before his / her death / permanent incapacitation, or
 - (d) Married daughter, if no other dependents of the deceased/permanently incapacitated personnel of Armed Forces, Central Armed Police Forces (CAPF) and Indian Coast Guard mentioned in clause (b) and (c) above is available , or
 - (e) Mother, father, unmarried brother or unmarried sister in case of unmarried deceased/permanent incapacitated personnel of Armed Forces, Central Armed Police Forces(CAPF) and Indian Coast Guard
- Note:** “Adopted son/daughter” means legally adopted son/ daughter under the Hindu Adoption and Maintenance Act, 1956. For dependents belonging to other than Hindu religion, case will be referred to Department of Personnel (A-II) for necessary clarification.
- (v) **“Permanently incapacitated”** means a soldier/person having minimum 40% disability and who has been declared permanently incapacitated by the respective Approving and Confirming Medical Authority of Army, Indian Navy, Indian Air Force, Central Armed Police Forces (CAPF) or Indian Coast Guard, as the case may be.”

3. Insertion of Rule 7A - After rule 7, so substituted and before the existing rule 8 of the said rules, the following new rule 7A shall be deemed to have inserted with effect from 08.08.2022, namely:-

"7A. Compassionate appointment of dependents of the deceased persons, who died or declared dead after missing in Uttarakhand Tragedy-2013.-(1) Notwithstanding anything contained in these rules the Appointing Authority may fill

the vacancies of the post upto level in pay matrix L-9 to be filled in by direct recruitment by appointing on compassionate ground to one of the dependents of a person who was bonafide resident of the State of Rajasthan and died in the Uttarakhand tragedy-2013 or declared dead after missing in such tragedy of 2013, subject to the condition that,-

- (i) the dependent must be a bonafide resident of the State of Rajasthan; and
- (ii) the dependent fulfills academic and other qualifications and other conditions prescribed under these rules for respective post:

Provided that the procedural requirement for selection such as,-

- (a) computer qualification shall not be insisted upon at the time of appointment. The dependent shall have to possess any of the computer qualification as prescribed in the relevant rules within the period of probation, failing which his/her probation shall be deemed to be extended, unless the appointing authority terminates his/her services finding the performance wholly unsatisfactory;
- (b) training or departmental examination or typing on computer shall not be insisted upon at the time of appointment. The dependents shall however, be required to clear such training or departmental examination or typing test on computer in any one language, either in English or in Hindi, within a period of three years, unless the period is relaxed by Department of Personnel, for entitlement for confirmation, failing which his/her appointment shall be liable to be terminated. No annual grade increments shall be allowed until he/she acquires such qualification. On acquiring such qualification, annual grade increments shall be allowed notionally from the date of appointment but no arrears shall be paid.

Provided further that the widow appointed under the provisions of these rules shall be exempted from having computer qualification and passing the typing test on computer.

Provided also that the person with benchmark disability appointed under the provisions of this rule shall be exempted from passing the typing test on computer.

- (2) Appointment shall not be given to such dependent, if any one of the dependents of such deceased or declared as dead after missing is already employed on regular basis under the Central/any State Government or Statutory Board/Organization/Corporation owned or controlled wholly or partially by the Central/any State Government at the time of death of the deceased or declaration of death of missing person:

Provided that this condition shall not apply where the widow seeks employment for herself.

Provided further that in case, the number of persons who died or declared dead after missing are more than one of any family, only one dependent shall be considered for appointment on compassionate ground.

- (3) Such dependent shall submit an application for appointment to the District Collector concerned. The District Collector shall forward the application with his recommendations to the Disaster Management, Relief & Civil Defence Department for verification. After the verification of death or declaration of death of such deceased, the application of such dependent shall be forwarded to the District Collector concerned for suitable appointment. In the event of non-availability of vacancy in the district concerned, the application shall be sent to the Divisional Commissioner who will arrange appointment in any District under his jurisdiction. If vacant post is not

available under the jurisdiction of the Divisional Commissioner, the application shall be referred by the Divisional Commissioner to the Department of Personnel (A-II) for providing appointment.

Explanation: For the purpose of this rule Dependent means,-

- (i) spouse; or
- (ii) son including son legally adopted by the person died or declared dead after missing during his/her life time; or
- (iii) unmarried/widowed/divorced daughter including legally adopted daughter by the person died or declared dead after missing during his/her life time; or
- (iv) married daughter, if no other dependent mentioned in clause (ii) and (iii) above is available; or
- (v) mother, father, unmarried brother or unmarried sister in case of unmarried person died or declared dead after missing,

who was wholly dependent on the person died or declared dead after missing at the time of his/her death.

(4) Notwithstanding anything contained in this rule persons who were appointed in pursuance of relief package dated 29-07-2013 issued by the Disaster Management and Relief Department shall be deemed to be appointed with effect from 08.08.2022, if they are otherwise eligible for appointment under this rule."

4. Insertion of Rule 7B - After rule 7A, so inserted and before the existing rule 8 of the said rules, the following new rule 7B shall be deemed to have inserted with effect from 06.02.2024, namely:-

"7B. "Compassionate appointment to candidates who became orphan due to Corona Virus infectious Disease (Covid-19).- (1) Notwithstanding anything contained in these rules, the Appointing Authority may fill the vacancies of the post upto level in pay matrix L-9 to be filled in by direct recruitment by appointing a candidate who became orphan due to Covid-19 on compassionate ground, subject to the conditions that,-

- (i) the candidate must be a bonafide resident of the State of Rajasthan; and
- (ii) the candidate fulfills academic and other qualifications and other conditions prescribed under these rules for respective post.

(2) The procedural requirement for selection and appointment such as,-

- (a) computer qualification shall not be insisted upon at the time of appointment. The candidate shall have to possess any of the computer qualification as prescribed in the relevant rules within the period of probation, failing which his/her probation shall be deemed to be extended, unless the appointing authority terminates his/her services finding the performance wholly unsatisfactory;
- (b) training or departmental examination or typing on computer shall not be insisted upon at the time of appointment. The candidate shall however, be required to clear such training or departmental examination or typing test on computer either in English or in Hindi, within a period of three years, unless the period is relaxed by Department of Personnel, for entitlement for confirmation, failing which his/her appointment shall be liable to be terminated. No annual grade increments shall be allowed until he/she acquires such qualification. On acquiring such qualification, annual grade increments shall be allowed notionally from the date of appointment but no arrears shall be paid:

Provided that the person with benchmark disability appointed under the provisions of this rule shall be exempted from passing the typing test on computer.

(3) Appointment shall not be given to such orphan, if any member of his family is already employed on regular basis under the Central Government or any State Government, Statutory Board, Organization or Corporation owned or controlled wholly or partially by the Central Government or any State Government at the time of death of his/her parents or at the time of appointment of such orphan.

(4) If the orphan is not in a position to take up employment immediately being a minor, employment may be given to him on attaining the age required for appointment on the post.

(5) Such orphan shall submit an application for appointment to the District Collector concerned. In the event of non-availability of vacancy in the district concerned, the application shall be sent to the Divisional Commissioner who shall arrange appointment in any District under his jurisdiction. If vacant post is not available under the jurisdiction of the Divisional Commissioner, the application shall be referred by the Divisional Commissioner to the Department of Personnel (A-II) for providing appointment.

Explanation:- For the purpose of this rule orphan means a person who has not attained the age of eighteen years at the time of death of his biological or adoptive parents who (both) have died due to Corona on or before 31.03.2023 or one of the parents had died in the past and the other died due to Corona on or before 31.03.2023 and who was wholly dependent on the parents at the time of their death.”

[No. F.2(1) DOP/A-II/2014]

By Order and in the name of the Governor,
DR. MUKUT BIHARI JANGID,
JOINT SECRETARY TO THE GOVERNMENT.

Government Central Press, Jaipur.